समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्रांक 383 /गो0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकरी।
सभी अंचल अधिकारी।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज।
कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 10/02/2015

विषय : कोषागार से प्राप्त आवंटनों की निकासी ससमय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मार्च महीने में कोषागार में विपत्रों की निकासी हेतु काफी भीड़ होती है जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के साथ–साथ गलत विपत्रों की निकासी होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए अभी से ही कोषागार प्रबंधन की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि मार्च माह में कोषागार में अनावश्यक भीड़ न हो।

सभी डी0डी0ओ0 आवंटित राशि की निकासी समय पर पूरा करें, इसके लिए 31 जनवरी 2015 तक प्राप्त सभी विपत्रों की निकासी अविलंब की जाय। कार्यालय कर्मियों के टी0ए0/डी0ए0 से संबंधित कम राशि वाले विपत्रों की निकासी 15 फरवरी 2015 से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाय। कार्यालय व्यय/विधुत विपत्र/ दूरभाष विपत्र/ व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में ऐसा देखा गया है कि उक्त मद में आवंटित राशि की निकासी प्रायः मार्च महीने में एक ही साथ की जाती है, इससे कोषागार पर अनावश्यक रुप से दवाब पड़ता हैं। अतएव यह उचित होगा कि उपरोक्त मद में 31 जनवरी 2015 तक प्राप्त आवंटन से विपत्र तैयार कर कोषागार में एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाय। विगत दो–तीन वर्षो की परंपरा को देखते हुये ऐसा संभव है कि सरकार के स्तर से विपत्रों की निकासी पर रोक लग जाये इसलिये किये गये व्यय से संबंधित विपत्र की निकासी हर हालत में 20 फरवरी से पूर्व कर लिया जाय।

कार्य विभाग से संबंधित जो भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं वे नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पंचायत सचिव जो कई योजनाओं के कार्य एजेन्सी हैं, का नियमित अनुश्रवण कर नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती तथा कटौती की गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

योजना मद में यदि व्यय होने के उपरान्त भी राशि की निकासी नहीं हो पाती हैं तो इसके लिए डी0डी0ओ0 पूर्ण से जवाबदेह होगें। सभी अंचल अधिकारी अनुग्रह अनुदान/बाढ़ राहत राशि/ अग्नि पीड़ीतों को सहायता राशि/आबादी निष्क्रमण मद इत्यादि मदों में व्यय करने के पश्चात भी यदि राशि की निकासी नहीं कर पाते हैं तो इसकी पूर्ण जवाबदेही उनकी होगी।

अतएव सभी डी0डी0ओ0 से अनुरोध है कि दिनांक–31 जनवरी 2015 तक प्राप्त आवंटन की निकासी, यदि व्यय हो गया हो तो अविलंब करेगें अन्यथा आवंटन का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

Ameena
10/02/15

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।